

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)// विविध आदेश //

क्रमांक.....176/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 30/06/2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक-135/2024 म0प्र0 शासन वि0 रिस्सू उर्फ रत्नेश एवं अन्य अपराध क्रमांक-350/17 थाना विश्वविद्यालय रीवा अपराध धारा-34(2) आबकारी अधिनियम 3/5 औषधी नियंत्रण अधिनियम 8,21,22, एनडीपीएस एक्ट को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री सुधीर सिंह ठाकुर, 09वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....3138/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 30/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. श्री सुधीर सिंह ठाकुर, 09वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2. श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर सत्र प्रकरण क्रमांक-135/2024 म0प्र0 शासन वि0 रिस्सू उर्फ रत्नेश एवं अन्य का मूल प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जू0सि0ए0/डी0प्र0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)